भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2779

15.03.2016 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण

2779. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में ई-अपशिष्ट उत्पन्न होने की क्षमता और इससे निपटने के लिए विकसित क्षमता के बीच अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/निपटान की संख्या और पुनर्चक्रण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/निपटान के निर्माण हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) देश में ई-अपशिष्ट उत्पादन का कोई सुव्यवस्थित सूचीकरण नहीं किया गया है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2012 में आठ (8) लाख टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ । एक सौ अड़तालीस (48) पंजीकृत ई-अपशिष्ट भंजकों/पुनर्चक्रण इकाइयों की संयुक्त क्षमता चार लाख पचपन हजार अठावन (455058) टन प्रतिवर्ष है । पंजीकृत भंजकों/पुनर्चक्रणकर्ताओं की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है । मंत्रालय के पास ई-अपशिष्ट भंजन तथा पुनर्चक्रण इकाइयों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्यक्रम नहीं है । ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 के अनुसार ई-अपशिष्टों को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से निपटाने की जिम्मेदारी इलैक्ट्रॉनिक तथा इलैक्ट्रिकल उपकरणों के उत्पादकों की है ।

इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने प्रारूप ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2015 प्रकाशित किए हैं । इस प्रारूप नियम के उपबंधों में विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) के अन्तर्गत उत्पादक की जिम्मेदारी को बढ़ाना, उत्पादक जिम्मेदारी संगठनों का गठन करना, और ई-अपशिष्ट आदान-प्रदान, सुरक्षित निपटान के लिए इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के बड़े उपभोक्ताओं को विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपना, इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के एकत्रण हेतु आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध कराना और इलैक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के संग्रहण तथा गंतव्य तक भेजने के लिए इलैक्ट्रॉनिक एवं इलैक्ट्रिकल उत्पाद के उत्पादकों की समर्पित जिम्मेदारी समाविष्ट करने के लिए अन्य उपाय शामिल हैं । पंजीकरण तथा प्राधिकार, दोनों की बजाय प्राधिकार की एक प्रणाली के माध्यम से भंजन एवं पुनर्चक्रण के लिए अनुमति की प्रक्रिया में सरलीकरण का प्रस्ताव किया गया है ।

*****

अनुबंध

'ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रीकरण' के संबंध में श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा पूछे गए दिनांक 15.03.2016 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2779 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत ई-अपशिष्ट भंजकों/पुनर्चक्रणकर्ताओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत ई-अपशिष्ट भंजकों/पुनर्चक्रणकर्ताओं की संख्या	पंजीकृत क्षमता टन प्रतिवर्ष
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	11800
2.	छत्तीसगढ़	2	1650
3.	गुजरात	7	20849
4.	हरियाणा	14	49385
5.	कर्नाटक	52	50318
6.	मध्य प्रदेश	2	6585
7.	महाराष्ट्र	24	32610
8.	राजस्थान	9	67470
9.	तमिलनाडु	16	111931
10.	उत्तर प्रदेश	16	73860
11.	उत्तराखंड	3	28000
12.	पश्चिम बंगाल	1	600
	कुल	**148**	**455058**